अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 06/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 954(अ).— केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), दिनांक 1 फरवरी, 2022 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सरकारी अधिसूचना पत्र संख्या 91(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 के विरुद्ध, कॉलम (3) में, शब्दों "तंबाकू युक्त पान मसाला" के स्थान पर शब्द "गुटखा" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/72/2025-टीआरय]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 01/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), दिनांक 1 फरवरी, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सरकारी अधिसूचना पत्र संख्या 91(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 06/2025-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 954(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2022-Central Excise (N.T.), dated the 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 91(E), dated the 1st February, 2022, namely:

In the said notification, in the Table, against Sl. No. 2, in Column (3), for the words "Pan masala containing tobacco", the words "Gutkha" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of February, 2026.

[F. No. CBIC-190349/72/2025-TRU]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 01/2022-Central Excise (N.T.), dated the 1st February, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 91(E), dated the 1st February, 2022.